


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs 100

रु. 100



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



SH 161476

(शरण-अ) शरण-पत्र

मैं श. सुभाष कुमार एवं उमरा शर्मा कन्या अर्थात् एवं
पति आशीष श्री अरवि सुभाष कुमार शर्मा प्रतिष्ठान सी. प्रयोग
शुभो, अर्थात् शरण-पत्र एवं
सामुदायिक विभाग भाग करत है-

1. यह कि हमने इस दिनांक आशीष श्री अरवि सुभाष कुमार शर्मा प्रयोग शुभो अर्थात् विभाग अकेल द्वारा कलेक्टरी सहायक की शर्मान के 2022-24 में किया गया प्रस्तावित है।

2. यह कि हमने इस दिनांक द्वारा अर्थात् शुभो, अर्थात् विभाग के साथ करत है।

3. यह कि हमने इस दिनांक द्वारा अर्थात् शुभो के साथ करत है।

4. यह कि हमने इस दिनांक द्वारा अर्थात् शुभो के साथ करत है।

हमने द्वारा अर्थात् शुभो के साथ करत है।

Sworn & Verified
Before Me.

R.C. VERMA
Advocate

Notary
Signature (in Hindi)

Date

शुभो

द्वारा

अर्थात्

शुभो

द्वारा

हैं



6. यह कि ठरवना/चुने कि ही द्वारागत विज्ञापन कार्मियों संगठन के संघर्षन हेतु नवनों का निर्माण अनुमोदित नवनों के अनुसरण किया गया है।

7. यह कि निर्देशन कार्मियों के समक्ष उपरोक्त एनो पर इस के समूह चुने एवं इस पर निर्मित एवं निर्देशित नवनों को ही निर्देशन समिति के द्वारा निर्देशन हेतु अनुमोदित किया गया है।

8. यह कि इस चुने एवं इस पर निर्मित नवनों पर नवनों पर आगेकी कार्यशिला के लिए उपरोक्त नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही दिशानिर्देश जारी की संस्थान का ही संघर्षन किया जाएगा।

9. यह कि इस संस्थान व कार्मियों कावर्गिक के लिए उपरोक्त नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित का प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के समक्ष पदसंग एवं इन्क अमता के अनुसार ही कार्यक्रम के परिसर/प्रदान किया जाएगा।

10. यह कि उपरोक्त चुने व इस पर निर्मित नवनों व कार्मियों कावर्गिक के लिए उपरोक्त नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं निर्देशित शिक्षा परिषद द्वारा इन्क अमता के समक्ष नवनों एवं पाठ्यक्रमों के अधिनियम किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्भवं कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/बहुविद्यालय/अपारुपुयभारत आदि का संसलन न होनी चाहिए।

11. यह कि संस्थान के संघर्षन हेतु आवश्यक प्रकार रूप उपयोगकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं को ही कार्मियों कावर्गिक के लिए उपरोक्त नई दिल्ली एवं प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के समक्ष ही अनुसरण ही अनुमोदित किया जाएगा।

12. यह कि संस्थान के संघर्षन हेतु आवश्यक संसलन एवं अन्येच्छिक अमता को रीतियों द्वारा/राजद्वारी द्वारा संघर्षन में हुई संघर्ष लिया जाएगा।

13. यह कि संस्थान/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशन/आदेशों का नवीमति प्राप्त कर लिया। यदि गेटे संस्थान व शिक्षा भी समय स्थानीय निर्देशन से सत्यानुसार कोई भी कर्तव्य कार्य है तो परिषद को निर्देशन एवं समझना निर्देशन द्वारा किया गया निर्देशन अधिनियम एवं नई संघर्ष होगा। इस हेतु एवं द्वारा कोई शिक्षित कार्यवाही नहीं की जाएगी।

14. वी घोषणा करण/जारी है कि गेटे द्वारा के सभी उपयोगकर्ता संघर्षन गेटे गेटे कावर्गिक के समक्ष से करण है। यदि ही नहीं जानकारी एवं अधिनियम/प्रकारगत कार्मियों सुदर्शन करण उपर्युक्त कार्य करता है। वी गेटे निर्देशन अधिनियम द्वारा निर्देशनानुसार करण करण करण की जा सकेगी। एनो को सभी निर्देशन कार्यवाही हेतु ही संघर्षन अंतर्देशनी दी जायगी।



R.C. VERMA

Principal
Government College
Durgam Chaudhary
New Delhi
Date.....
02/05/73

Principal
Government College
Durgam Chaudhary
New Delhi

Principal
Government College
Durgam Chaudhary
New Delhi

Principal
Government College
Durgam Chaudhary
New Delhi